प्राप्त 17/8/23 सामान्य

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

G20

पत्रांक– 242 / FP/UK/ROAD/149608/2021 :देहरादूनः दिनांक 4/8 जुलाई, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,

25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़–तवाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 72.00 ढुंगातोली/बिनियागॉव से कि0मी0 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग के चौड़ीकरण हेतु 29.690 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु सीमा सड़क संगठन को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/149608/2021)।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण एवंजलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8 बी/यू0सी0पी0/06/130/2021/एफ0सी0/1503/ दिनांक–31.01.2022।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–140/12–1 (2) दिनांक 19.07.2023 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है जो कि नम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :–

क्र0 सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त प्रश्न	अनुपालन आंख्या उत्तर
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
3	<u>प्रतिपूरक वनीकरण</u> क– वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 29.690 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम किमी0 72.00 ढुंगातोली/बिनियागांव से कि0मी0 107.600 (तवाघाट) तक ग्राम न्यू पट्टी न्यू त0 धारचूला जिला–पिथौरागढ़ के खसरा संख्या 2106,2107,2109,2110,2111,2112,2113,2114,2115,2116 एवं 2117 मध्ये में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगतनीय है कि वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 29.690 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम न्यू पट्टी न्यू त0 धारचूला जिला–पिथौरागढ़ के खसरा संख्या 2106,2107,2109,2110,2111,2112,2113,2114, 2115,2116 एवं 2117 मध्ये में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाते हुए मिश्रित वृक्षारोपण किया जायेगा।
	ख– रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
	ग– गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण नागान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी। Guideline Para 24 (I) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नागान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	शर्त संख्या 3 के अनुपालन में वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगतनीय है कि जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश संख्या 1007/1853/सात–21/2021–22 दिनांक–26.03.2022 द्वारा 29.690 है0 राज्य भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वनविभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दी गयी है। उक्त भूमि को संरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–01)**

	घ. वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी ए क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–02)**
	ड़. The KML files of the area to be diverted the careers the proposed SMS work proposed catchment area treatment area and the WLMP area shall be uploaded the e- green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards liner project or submitting compliance report for seeking stage-I approval, as the case may be.	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तभंन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याषित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि NEFT/RTGS चालान के माध्यम से दिनांक 24.02.2022 को वनविभाग के पक्ष में जमा की गयी है। **(संलग्नक–03)**
5	<u>**शुद्ध वर्तमान मूल्य**</u> क– इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक–30.10.2002 01.08.2003 28.03.2008, एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pr-2) दिनांक–18.09.2003 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक–03.10.2006 एवं 5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक–05.02.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 29.690 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावहन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि NEFT/RTGS चालान के माध्यम से दिनांक 24.02.2022 को वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। चालान की हार्ड कापी 4 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–03 के अनुसार)**
	ख– विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई जो अन्तिम रूप देने के देय हो का राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है, शपथ पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–04)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 244 trees से अधिक नहीं होगी। एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगे अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल https//Parvesh-nic-in के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित /जमा किये जायेगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
8	गाईडलाईन्स में दिये गये दिशा–निर्देशो के पैरा 112 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगे। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति संलग्न है। **(संलग्नक–05)**
9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डो के अनुरार सड़क के दोनो किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रो में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनयमित साइनेज लगाए जायेगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
14	वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

	किया जायेगा।	
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवाहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनो के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन्य भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देष फाइल संख्या 11–42/2017– FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पुर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगातार मलवा निस्ताकरण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दिवार बनायी जायेगी। निस्तारण स्थलो को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजना अनुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
23	यदि कोई अन्य अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होता है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेगा राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेसियों की जिम्मेदारी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (htpps://parivesh.nic.in) पर अपलोड़ की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,

संख्या– 242 / FP/UK/ROAD/149608/2021 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–140/12–1 (2) दिनांक 19.07.2023 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,